



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251453
CG-DL-E-18012024-251453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945

No. 238]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

का.आ. 247(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के भाग 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार निम्नोक्त तालिका के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा असम परिसम्पत्ति के परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी का कार्य निष्पादित करने के लिये नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत करती है, नामतः:-

अनुसूची

व्यक्तियों के नाम	अधिकार क्षेत्र
1	2
लखी नन्दन गोगई, निवृत्त उप आयुक्त	असम राज्य

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/2/2020-इएक्सपीएल-पीएनजी (इ-34626)]

अमित बंसल, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th January, 2024

S.O. 247(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby authorizes the authority mentioned in column (1) of the schedule given below to perform the functions of Competent Authorities under the said Act for acquisition of RoU in Oil and Natural Gas Corporation Limited projects of Assam Asset in respect of the areas specified in column (2) of the said schedule.

SCHEDULE

Name and Designation of Authority	Area of Jurisdiction
1	2
Mr.Lakhi Nandan Gogoi, (Retd.) Deputy Commissioner	Assam State

[F. No. Expl-13011(26)/2/2020-EXPL-PNG (E-34626)]

AMIT BANSAL, Dy. Secy.